मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना

विधि मंत्री — सुश्री कुसुम सिंह महदेले

सचिवालय

1.	प्रमुख सचिव	श्री विरेन्दर सिंह	उच्च न्यायिक सेवा
2.	अतिरिक्त सचिव	श्री आर.के. वाणी	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री अभिताभ मिश्र	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री राजेश यादव	सचिवालयीन सेवा
4.	उप सचिव	श्री ए. पी. खेर	सचिवालयीन सेवा
		श्री एच. के. पेटकर	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
		श्री परितोष कुमार तिवारी	सचिवालयीन सेवा
5.	अवर सचिव	श्रीमती सुशीला परते	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती सामवती बरला	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
		सुश्री प्रीतेश्वरी तिवारी	सचिवालयीन सेवा
		श्री महेन्द्र कुमार जैन	सचिवालयीन सेवा (ग्वालियर)
		श्रीमती रजनी पंचौली	सचिवालयीन सेवा
		श्री सी.एल. मुकाती	सचिवालयीन सेवा
		श्री आर. पी. गुप्ता	सचिवालयीन सेवा
7.	स्टाफ आफिसर	श्री अनिल शर्मा	सचिवालयीन सेवा
6.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सुश्री उमा तिवारी	वित्त एवं लेखा सेवा

———————

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ हैः–

भाग–अ

इस विभाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा, विधीक्षा शाखा का कार्य होता है :–

प्रारूपण शाखाः– इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा :– इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधान के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग–ब

इस शाखा में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता हैः–

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है. यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग–स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है, इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि पदाधिकारीगण पैरवी करते है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है। जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग–स (2)

परामर्श शाखा.– इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में मत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत बोर्ड एवं अधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870
3. लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1949
4. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
5. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू अव्यस्कता अभिभावकत्व अधिनियम, 1956
8. हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम, 1956
9. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
11. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
12. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
13. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939

14. धर्मान्तरिती विवाह अधिनियम, 1866
15. ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
16. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
17. सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882
18. संविदा अधिनियम, 1872
19. भागिता अधिनियम, 1932
20. विनिर्दिष्ट अनुतोष (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट) अधिनियम, 1963
21. प्रांतीय शोध क्षमता अधिनियम, 1920
22. न्यास अधिनियम, 1882
23. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
24. एडमिनिस्ट्रेटर्स–जनरल एक्ट, 1963 (1963 का क्र. 45)
25. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
26. शपथ अधिनियम, 1969
27. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
28 मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976
29. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
30. नोटरीज अधिनियम, 1952
31. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971
32. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
33. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
34. पंचाट (आर्बीट्रेशन) अधिनियम, 1940 एवं आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलियेशन एक्ट, 1996
35. परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम, 1963
36. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
37. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
38. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983

अध्याय–दो

बजट

वित्त वर्ष 2014–15 में विभाग को मांग संख्या 29 के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:–

(आंकड़े हजार में रूपये में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2014–2015		
	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक– राजस्व अनुभाग			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय	7,97,80	1,00,00	8,97,80
(भारित)	88,53,96	0	88,53,96
(105) सिविल और सत्र न्यायालय	7,94,32,53	6,00,00	8,00,32,53
(भारित)	3	0	3
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता	16,75,84	25,00	17,00,84
(भारित)	1	0	1
(800) अन्य व्यय	39,,02,26	0	39,02,26
मतदेय योग–लेखाशीर्ष 2014	**8,58,08,43**	**7,25,00**	**8,65,33,43**
(भारित)	**88,54,00**	**0**	**88,54,00**
2015–निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकरी	13,99,41	0	13,99,41
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	88,36,00	0	88,36,00
(105) संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	1,98,81,24	0	1,98,81,24
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	16,22,91	0	16,22,91
(भारित)	20,10	0	20,10
(108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	25,60,23	0	25,60,23
योग लेखाशीर्ष 2015 (मतदेय)	**3,42,99,79**	**0**	**3,42,99,79**
(भारित)	**20,10**	**0**	**20,10**
2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	23,46,56	50,00	23,96,56
(091) संलग्न कार्यालय	3,30,90	0	3,30,90
योग–लेखाशीर्ष 2052	**26,77,46**	**50,00**	**27,27,46**

.....2

2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
(200) अन्य कार्यक्रम	12,50,00	58,75	13,08,75
योग लेखाशीर्ष 2235	12,50,00	58,75	13,08,75
योग एक राजस्व अनुभाग	**12,40,35,68**	**8,33,75**	**12,48,69,43**
(भारित)	**88,74,10**	**0**	**88,74,10**
दो—पूंजी अनुभाग			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
(202)—मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम	50,00	0	50,00
योग लेखा शीर्ष—7610	**50,00**	**0**	**50,00**
योग दो—पूंजी अनुभाग	**50,00**	**0**	**50,00**
योग मांग संख्या—29—न्याय प्रशासन	**12,40,85,68**	**8,33,75**	**12,49,19,43**
(भारित)	**88,74,10**	**0**	**88,74,10**

वित्त वर्ष 2014—15 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिये पुस्तके क्रय करने हेतु रू. 10,00,000/— का प्रावधान किया गया है जिसमें 31 दिसम्बर 2014 तक अभिभाषक संघो को निम्नानुसार अनुदान दिया जा चुका है।

क्र.	अभिभाषक संघ का नाम	राशि
1.	अभिभाषक संघ, महिदपुर जिला उज्जैन	25,000/—
	योग रूपये	25,000/—

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियाँ

न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसेः–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल्वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित है। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंर्तगत प्रदेश में उच्च न्यायालय के भवनों एवं न्यायधिपतियों के आवासगृहों हेतु वर्ष 2014–15 के बजट में 8 करोड़ रूपये तथा न्यायिक अधोसंरचना (अधीनस्थ न्यायालय भवन/ न्यायालय कक्ष/न्यायिक अधिकारी के आवास के निर्माण) के विकास हेतु कुल 120 करोड़ रुपये (90 करोड़ न्यायालय भवन 30 करोड़ आवासीय भवन हेतु) का प्रावधान किया गया है।

13 वें वित्त आयोग के अंर्तगत न्याय प्रशासन में सुधार हेतु प्राप्त अनुदानों में से 30 हैरिटेज न्यायालय भवनों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु 11,06,25,595/— एवं 11,69,13,999/— की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 03.10.2013 एवं 26—05—14 को जारी की जा चुकी है।

न्यायिक अकादमी के सृदृढ़ीकरण एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना के अंर्तगत न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जबलपुर के रीजनल प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर एवं ग्वालियर के भवन निर्माणधीन है।

म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की घारा 5 (ख) के अधीन सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 के कुल 51 न्यायालय निम्नलिखित जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 03 मई, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2014 द्वारा स्थापित किये गये हैः—

अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी, गोहद, बुरहानपुर, लौंडी, राजनगर, बड़ामलहरा, सौंसर, परासिया, जुन्नारदेव, हटा, सेवंढा, शहपुरा (डिण्डौरी), आरोन, पचमढ़ी, मऊ, पाटन, सबलगढ़, रामपुरा (नीमच), ब्यावरा, जावरा, मउगंज, त्यौथर, सिरमौर, खुरई, बीना, रामपुरबघेलान, उचेहरा, चित्रकुट, नसरूल्लागंज, लखनादौन, चुरहट, बैढन, देवसर, महिदपुर, महेश्वर ,सनावद में एक—एक तथा ग्वालियर में 4,जबलपुर में 3, कटनी में 2, अम्बाह जिला मुरैना में 2 तथा सागर में 2 न्यायालय स्थापित किये गये है।

म.प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 5 (ख) के अधीन सिविल न्यायाधीश वर्ग—1 के कुल 35 न्यायालय निम्नलिखित जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 03 मई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2014 द्वारा स्थापित किये गये हैः—

अशोकनगर, बैतूल, मुलताई जिला बैतूल, लहार जिला भिण्ड, चौरई जिला छिन्दवाड़ा, देवास, बागली जिला देवास, टोंकखुर्द जिला देवास, सरदारपुर जिला धार, खण्डवा, डबरा जिला ग्वालियर, भितरवार जिला ग्वालियर, हरदा, मउ जिला इन्दौर,सांवेर जिला इन्दौर, देपालपुर जिला इन्दौर, सिहोरा जिला जबलपुर, पेटलावद जिला झाबुआ, कटनी, नीमच, पवई जिला पन्ना, बरेली जिला रायसेन,गौहरगंज जिला रायसेन, बण्डा जिला सागर, मैहर जिला सतना, सिवनी, शहडोल, बुढार जिला शहडोल,

शुजालपुर जिला शाजापुर, खनियाधाना जिला शिवपुरी, रामपुरनैकिन जिला सीधी, बैढन जिला सिंगरौली, जतारा जिला टीकमगढ़ एवं बासौदा विदिशा में एक–एक तथा जबलपुर मे 2 न्यायालय स्थापित किये गये है।

प्रदेश के समस्त 50 जिला में सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 9 के अंतर्गत रेप, गैंगरेप, मर्डर के साथ रेप तथा महिला उत्पीड़न से संबधित अन्य मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश को पदाभिहित किया जा चुका है।

समस्त जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये है कि शासकीय अधिवक्ताओं/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ताओं/विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाले पैनल में महिला अधिवक्ताओं के नामों को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित करें।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रदेश में इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश स्तर के दो–दो न्यायालय कार्यरत है एवं इंदौर एवं जबलपुर मे एक–एक मजिस्ट्रीयल कोर्ट द्वारा भी सी.बी.आई. के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है।

विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में 8 विशेष न्यायालय (भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर प्रत्येक स्थान पर दो–दो न्यायालय) स्थापित किये गये है।

प्रदेश में 32 जिला मुख्यालयों भोपाल, सागर, रीवां, जबलपुर, उज्जैन, इन्दौर, ग्वालियर, शहडोल, टीकमगढ़, राजगढ़(ब्यावरा), होशंगाबाद, बैतूल, सतना, मंदसौर, कटनी, रतलाम, छिन्दवाड़ा, सिवनी, गुना, देवास, भिण्ड, विदिशा, धार, बालाघाट, छतरपुर, सिंगरौली, मण्डलेश्वर, नीमच, मुरैना, सीधी, मण्डला तथा खण्डवा में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किये जा चुके है एवं वर्ष 2014–15 में 18 जिला मुख्यालयों हरदा, रायसेन, डिण्डौरी, झाबुआ, पन्ना, बड़वानी, अशोकनगर, बुरहानपुर, श्योपुर, उमरिया, सीहोर, शाजापुर, नरसिंहपुर, दतिया, दमोह, शिवपुरी, अनुपपूर, तथा अलीराजपुर में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंर्तगत 43 विशेष न्यायालय स्थापित है। सिविल जिला अशोकनगर, बुरहानपुर, उमरिया, अनूपनुर, डिंडोरी, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न एवं अलीराजपुर में उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला एवं सत्र

न्यायाधीश को अधिसूचित किया गया है। उक्त 7 विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सिविल जज वर्ग–2 के 100 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। मुख्य परीक्षा 2015 में संपादित होना है।

न्यायिक शाखा (दो)

1. शासकीय अभिभाषक, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के पदों पर नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त पैनलों के आधार पर राज्य शासन द्वारा शासकीय अभिभाषकों के पदों पर 20 अधिवक्ताओं को एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों के 80 पदों पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।
2. वर्ष 2014 में लोक सभा चुनाव सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन आयोग, म0प्र0 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संपूर्ण प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अंतर्गत विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान किये जाने की कार्यवाही की गयी है।
3. क. जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर नवीन नोटरी के नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार कर विचारोपरांत 16 नोटरियों को नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं एवं मध्यप्रदेश राज्य के 17 जिलों में नोटरी नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4. ख. जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यरत नोटरियों के 206 नोटरियों के नोटरी व्यवसाय प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
5. माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 21.02.2014, 25.02.2014, 06.08.2014, 05.10.2014, 18.11.2014 एवं 03.01.2015 द्वारा क्रमशः– 48, 18, 8, 7 एवं 1 अधिवक्ताओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम के अंतर्गत रूपये 1,00,000/– रूपये एक लाख केवल सहायता राशि प्रदान करने के आदेश जारी किये गये हैं।

दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक) 2014 विधानसभा से पारित हो जाने के फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर उपरांत इस विभाग को प्राप्त हुआ जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ओर हस्ताक्षर हेतु भेजे जाने के संबंध में प्रक्रियाधीन है।

प्रारूपण शाखा

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा एवं विधीक्षा शाखा का कार्य होता हैः—

प्रारूपण शाखाः—

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता हैः—

(1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा से पारित कराना।

(2) विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य।

(3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन।

(4) विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार।

(5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि—पत्र बनाने का कार्य।

(6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनर्प्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बर, 2014 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये—

अध्यादेश	—	10
विधेयक	—	31

4. वर्ष 2014 में कुल 10 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

5. वर्ष 2014 में कुल 31 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2014 तक 23 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

6. वर्ष 2014 तक की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित हैंः—

1. मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009),
2. मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियाँ तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2010)
3. मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन 2010)

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा विभागीय पुस्तकालय है। पुस्तकालय में लगभग एक लाख से ज्यादा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा राजपत्रों का समावेश है। शाखा में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य तथा सी.पी. एण्ड बरार एवं भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है। यहां पर भारत का राजपत्र तथा मध्यप्रदेश का राजपत्र 1958 से उपलब्ध है।

पुस्तकालय शाखा द्वारा विधि परामर्शी के कार्यो हेतु व अन्य नस्तीयों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण आदि को संदर्भ सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही म.प्र. राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमो पर समय–समय पर किये गये संशोधन यथास्थान लगाने का कार्य मुख्य रूप से होता है। शाखा द्वारा म.प्र. अधिनियमों का इंडेक्स कम्प्यूटर पर इंडेक्सीकरण का कार्य चल रहा है। विभाग के पुस्तकालय को ई–ग्रंथालय बनाए जाने हेतु पुस्तकों की प्रविष्टियां एन.आई.सी. से प्राप्त साफ्टवेयर में की जा रही है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 23 प्रकार की विधि पत्रिकाएं क्रय की जाती है तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय–समय पर पुस्तक चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती है।

अभियोजन शाखा

विभाग में अभियोजन स्वीकृति हेतु वर्ष 2014 में कुल 451 प्रकरण प्राप्त हुए। वर्ष 2013 के लंबित 30 प्रकरण मिलाकर कुल 481 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से दिनांक 05.09.2014 के पूर्व विभाग द्वारा 192 प्रकरणों में आदेश जारी किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ–15/01/2014/1–10 दिनांक 05.09.2014 के अनुसार शेष 286 प्रकरण प्रशासकीय विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा चुके है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 26 प्रकरण मत हेतु प्राप्त हुए जिनमें से सभी 26 प्रकरणों में अभिमत दिया गया।

मत शाखा

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरण में मत देने का कार्य किया जाता है। उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अंतिम मत दिया जाता है। परिमार्जन हेतु विधीक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत शाखा द्वारा यथानिर्देशित प्रदान किये जाते है।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रालय से 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक कुल 449 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 437 प्रकरणों में मत दिया जाकर संबंधित विभागों, मंत्रालय को भेजे गये हैं, तथा शेष 13 प्रकरणों पर अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि–पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है। 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न विभागों के 31 विधेयकों एवं 10 अध्यादेशों के अंग्रेजी प्रारूपों का अंतिम रूप से हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया।

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित/समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन करने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) (अधीनस्थ विधायन) शाखा

इस शाखा में अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत नियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों, विनियमों, आदेशों तथा भर्ती नियमों के हिन्दी परिमार्जन का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 248 आदेशों/अधिसूचनाओं/ नियमों/भर्ती नियमों का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उप विधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को वापस की जाती है।

वर्ष 2014 में कुल 472 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से 458 प्रकरणों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती प्रशासकीय विभागों को वापस की जा चुकी है तथा शेष 11 प्रकरणों में अनुवाद का कार्य चल रहा है और 3 प्रकरणों में अंग्रेजी परिमार्जन की कार्यवाही की जा रही है।

स्थापना शाखा

विधि और विधायी कार्य विभाग की इस शाखा में विभाग में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं का संधारण, नियुक्ति, पदोन्नति तथा दण्डाज्ञा आदि कार्यवाहीयां यथासमय की जाती है।

विधि और विधायी कार्य विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों (महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर) का सेटअप तथा संयुक्त पदक्रम सूची एक ही है तथा प्रतिवर्ष संयुक्त पदक्रम सूची का प्रकाशन किया जाता है।

विधि विभाग में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुरूप एक ही लुक एवं फील के साथ नवीन स्वरूप में विकसित करने की प्रक्रिया में वेबसाइट माह अक्टूबर, 2014 में प्रसारित की गई है।

याचिका शाखा

याचिका शाखा में निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाते है :–

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध पारित निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय मे राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरूद्ध दायर होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

वित्त वर्ष 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गयेः–

शाखा में प्राप्त कुल प्रकरण	प्रकरणों का विवरण	निपटाये गये प्रकरण	लंबित प्रकरण
	1. माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरणः		
384	क– विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिनकी संख्या	374	निल
	वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की गई	04	निल
	2. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियरः		
	क– अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये, जिनकी संख्या	01	निल
	ख– जिन प्रकरणों में पुर्नविलोकन याचिकाएं एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये जिनकी संख्या	328	निल
	ग– जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई, जिनकी संख्या,	84	निल
	घ– जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाऐं) जिनकी संख्या	6008	निल
	3. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयें में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणः		
	क– जिन प्रकरणों मे अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये जिनकी संख्या–	33	निल
	ख– केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता म.प्र. को निर्देश जारी, जिनकी संख्याः	15	निल
	4. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणः		
	क– राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये, जिनकी संख्या	06	निल
	5. शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतानः		
	क– समय–समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई, प्रकरणों की संख्या	38	निल
	6. विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या	**1705**	निल
	कुल योग–	**8696**	**निरंक**

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरूद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते है।

1—1—2014 से 31—12—2014 तक की अवधि में निम्न कार्य किये गये है:—

1— मान. उच्चतम न्यायालय के समक्ष— 224 मामलों एस.एल.पी. पेश किये जाने के आदेश जारी किये गये।

2— माध्यस्थम अधिकरण एवं अन्य राज्यों के समक्ष 146 मामलों में प्रतिरक्षण आदेश एवं अधिवक्ता नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

3— मान. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मान. उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर एवं इंदौर के द्वितीय अपील, अपील पुनरीक्षण याचिका, रिट याचिका एवं रिट अपील—629 एवं पक्ष—समर्थन—1501 पेश करने के आदेश जारी किये गये।

आपराधिक शाखा

1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक किये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार है: —

अ. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही:

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्ताव पर परीक्षण किया गया।	105
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका/अपील प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	98
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों जिन्हे नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था। (रिपोर्ट प्रकरण) जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये।	1235

ब. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाही:

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
4.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1219
5.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	580
6.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	57
7.	अन्य प्रपत्र एवं स्थाई अधिवक्ताओं की फीस पर की गई कार्यवाही।	2026
	कुल संख्या	5320

नोट:— वर्ष के अंत में अपील प्रस्तावों पर परीक्षण के लिये लंबित प्रकरणों की संख्या निरंक है।

भाग—एक
मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम क्रमांक 29/1983) 1 मार्च, 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रू. 50,000/— या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वक्र्स कान्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशत राज्य सरकार के स्वाभित्वधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम है, का निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें यथा खण्डपीठ पी' तथा खण्डपीठ 'आई' मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं।

महत्वपूर्ण ऑकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	पूर्व वर्ष की शेष निर्देश याचिका की संख्या	वर्ष में पंजीकृत निर्देश याचिका की संख्या	पुर्नस्थापित निर्देश याचिका की संख्या	कुल प्रकरण	वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष की शेष विविध याचिका	वर्ष में पंजीकृत विविध याचिका	निराकृत विविध याचिका (MJC)	दि. 31.12.12 को शेष विविध याचिका	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रू.)	दावा/प्रतिदावा में प्राप्त कुल न्याय शुल्क (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2013	308	150	21	479	27	15	51	49	17	6,43,95,45,180.00	1,04,52,933.00

भाग—दो
वर्ष 2012—13 का आय व्यय बजट(एक दृष्टि में)

वर्ष	बजट आंबटन	व्यय	
2013—14	2,84,65,000,00	2,41,69,638,00 (दिसम्बर, 2013 की स्थिति में)	आयोजनेत्तर

भाग—तीन
राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

(अ)	राज्य योजनाऐं	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं	निरंक
(इ)	अन्य योजनाऐं	निरंक

भाग—चार
सामान्य प्रशासन विषय

(जांच समितियाँ, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए) निरंक

भाग—पांच
अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग—छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये) निरंक

भाग—सात

विभाग का नाम :— मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

संरचना :— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसकी संरचना निम्नानुसार है :—

1— माननीय मुख्य न्यायाधिपति — मुख्य संरक्षक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

2— माननीय न्यायाधिपति — कार्यपालक अध्यक्ष
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

3— उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य — सदस्य—सचिव
(जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो)

4— **पदेन सदस्य**:—

1— मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन

2— महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश शासन

3— वित्त विभाग का प्रभारी सचिव

4— गृह विभाग का प्रभारी सचिव

5— विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रभारी सचिव

6— मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल

7— मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष

और

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष

8— मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् का सभापति या अध्यक्ष

9— मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष

10— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दो अध्यक्ष

(जो मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें)

11— तीन नाम निर्दिष्ट सदस्य

(जो मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायें)

संरक्षणात्मक उपाय एवं विकास कार्य :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्ग, असहाय तथा पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा (सहायता/सलाह) उपलब्ध कराई जाती हैं ।

राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीबों को कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :—

(अ.) **विधिक सेवायें**—

1. विधिक सहायता/सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधन केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।
6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम ।
8. मीडियशन कार्यक्रम।

(ब.) **लोक अदालत**–

1. मेगा/नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत।
4. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत।

(स.) **विधिक साक्षरता**–

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

उक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा किया जाता है ।

"योजनायें एवं कार्यक्रम"

(अ.) **विधिक सेवायें**–

(1) **विधिक सहायता एवं सलाह** :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा सामान्य वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है ।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :–

1– जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का है,

2– ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,

3– महिला, बालक हो,

4– ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या असमर्थ है निर्योग्य है ।

निर्योग्य का तात्पर्य है :–

(क) अन्धापन (ख) कमजोर दिखाई देना (ग) जिसे कुष्टरोग है (घ) कम सुनाई देना (ड.) जो चल फिर नहीं सकता (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

5– ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,

6– ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी,, कम्पनी में काम करता है)

7– ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,

8– ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है:–

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :–

1– कोर्ट फीस 2– तलवाना 3– टाईपिंग/फोटोकांपी खर्च 4– गवाह खर्च 5– अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च 6– निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च 7– वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/ अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है ।

(2) **पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :–**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001'' विरचित की गई है । इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है । इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है । इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है । इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पंहुचती है ।

(3) **जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :–**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा'' जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाइ गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है ।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001'' बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

(5) लीगल क्लीनिक–

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते है।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम–

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम–

श्रम, विधियों के प्रभावकारी कियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्व अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है।

(8) मीडियशन कार्यक्रम–

विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) **लोक अदालत योजना–**

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है । मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है–

(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)

वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. मेगा/नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत।
4. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत।

लोक अदालत के लाभ–

1– पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।

2– समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।

3– लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस 10 प्रतिशत काटकर शेष वापस हो जाती है।

4– लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।

5– मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।

(स.) विधिक साक्षरता–

(1). **विधिक साक्षरता शिविर योजनाः–** मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते है। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके

मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये है, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, आडियों कैसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है।

(2). **विवाद विहीन ग्राम योजना :–** मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000'' विरचित की गई है, ''विवाद विहीन ग्राम'' का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो। यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है।

(3). **प्रचार–प्रसार :–** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियांवित योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

वित्त वर्ष 2014–2015 (जनवरी 14 से नवम्बर 14) की जानकारीः–

(अ.) **विधिक सेवायें–**

1– **<u>विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना</u>–**

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 74604 व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह के माध्यम से लाभांवित कराया गया है। उक्त लाभांवित व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति के 17594, अनुसूचित जनजाति के 13677, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग 43333 व्यक्ति सम्मिलित है।

2– **<u>पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना</u>–**

वित्त वर्ष 2014–2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र'' योजनांतर्गत कुल 226 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 57 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 157 प्रकरण सम्मिलित है।

3– **<u>जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना</u>**–

वित्त वर्ष 2014–2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल 8811 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति 3114 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1910 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 3787 प्रकरण सम्मिलित है।

4— **मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना**—

वित्त वर्ष 2014—2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना'' द्वारा कुल 837 व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत प्रकरणों में विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। जिसमें अनुसूचित जाति 174, अनुसूचित जनजाति के 186 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 477 व्यक्ति सम्मिलित है ।

5— **लीगल एड क्लीनिक**—

वित्त वर्ष 2014—2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में ''लीगल एड क्लीनिक'' द्वारा कुल 14719 आवेदन पत्रों का निराकरण कराते हुए 14960 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

6— **महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई**—

वित्त वर्ष 2014—2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' द्वारा कुल 187 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 187 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

7— **श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम**—

वित्त वर्ष 2014—2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में ''श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम'' द्वारा कुल 147 आवेदन पत्रों का प्रकरणों का निराकरण कराते हुए 147 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है ।

8— **मीडियशन कार्यक्रम**— **वित्त वर्ष 2014—15** (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) में मीडियशन के माध्यम से कुल 2154 प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं इसी वित्तीय वर्ष में 29 मीडियशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 833 लोगों को प्रशिक्षित कराया गया।

(ब.) लोक अदालत—

1. नेशनल/मेगा लोक अदालत—

वित्त वर्ष 2014—2015 (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) अवधि में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2014 प्रदेश में उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन कराया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल 77,34,373 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर रूपये 12,26,12,94,289/— मुआवजा/डिक्री/वसूली/समझौता राशि के रूप में पक्षकारों को दिलवाया गया।

2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत—

वित्त वर्ष 2014—2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 1483 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 24196 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर, पीड़ित पक्षकारों को राशि रूपये 45,74,37,089/— मुआवजा/डिक्री व अन्य राशि के रूप में प्रदाय कराई गई। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति 4226 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3524 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 16446 प्रकरण सम्मिलित है

3. **लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत–**

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) 154 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 506 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

4. **महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) 52 लोक अदालतें आयोजित की जाकर, 127 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

5. **जेल लोक अदालत**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) 14 लोक अदालतें आयोजित की जाकर, 114 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

6. **प्लीवार्गेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लोक अदालत**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) प्लीवार्गेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 276 प्रकरणों का निराकरण कराया गया।

(स.) **विधिक साक्षरता शिविर योजना।**

1. **विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 4040 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 543707 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

2. **लघु विधिक साक्षरता शिविर**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 267 लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 9455 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

3. **मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 237 मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, 39946 व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

4. **विवाद विहीन ग्राम योजना–**

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत किसी भी ग्राम को विवाद विहीन ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

5. **प्रचार–प्रसार कार्यक्रम**–

वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिये बुकलेट, पेम्पलेट, ब्रूचर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार–प्रसार कराया गया हैं, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर–दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कराया गया है।

(द.) स्थापित लीगल एड क्लीनिक एवं फ्रन्ट ऑफिस में सेवाऐं देने वाले प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेन्टियर्स– वित्त वर्ष 2014–2015 में (माह जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) कुल 2593 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को प्रशिक्षित किया गया एवं कुल 1429 लीगल एड क्लीनिक्स की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2013–2014 का वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धिः–

वित्त वर्ष 2013–14 में विधिक सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित कार्यक्रमों लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, लीगल एड क्लीनिक, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ, लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत आदि के लिये रूपये 1,06,25,000/– का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें सामान्य वर्ग के लिये 58,75,000/–, अनुसूचित जाति के लिये 25,00,000/–, अनुसूचित जनजाति के लिए 22,50,000/– का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 1,06,25,000/– प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2013–14 में प्राप्त राशि में से राशि रूपये 1,06,25,000/– वित्त वर्ष में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित की गई। जिसमें से रूपये 77,09,255/– जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा व्यय किया गया।

वित्त वर्ष 2014–2015 (जनवरी 14 से नवम्बर 14 तक) की वित्तीय उपलब्धियॉ

वित्त वर्ष 2014–2015 (अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014) में गरीबों को कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित कार्यक्रमों जैसे विधिक सहायता एवं उसके अंतर्गत क्रियान्वित लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, लीगल एड क्लीनिक, महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ, लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रूपये 53,65,000/– (शब्दों में त्रेपन लाख, पैंसठ हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से सामान्य योजना में रूपये 29,25,000/–, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 12,50,000/–, अनुसूचित जाति उप योजना में रूपये 11,90,000/–का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध वित्त वर्ष 2014–15 (जनवरी 2014 से नवम्बर 2014) में सामान्य योजना में रूपये 68,08,900/–, अनुसूचित जनजाति योजना में रूपये 30,15,409/–, अनुसूचित जाति उप योजना में रूपये 26,02,329/– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवंटित राशि में से राज्य प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा रूपये 71,64,662/– व्यय किया गया।

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना तथा 13 वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से हैरिटेज न्यायालय भवनों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार का कार्य किया जाना।